संख्या- 68/2382/71-1-2014-जी-361/2013

प्रेषक,

अरिन्दम भट्टाचार्य,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 20 दिसम्बर, 2014

विषयः- सुपर स्पेशिलिटी राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ हेतु पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-325/71-1-09-जी-263/2006, दिनॉक 16-02-2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेडिकल कालेज, आजमगढ़ के सेन्ट्रल रिकार्ड सेक्शन हेतु सृजित मेडिकल रिकार्ड आफिसर के पद का वेतनमान त्रुटिवश वेतन बैण्ड रू0 9300-34800 ग्रेड वेतन रू0 5400 स्वीकृत कर दिया गया है। अतः उक्त त्रुटि का निवारण करते हुए वेतन आयोग-2008 की संस्तुतियों के अनुसार उक्त पद का वेतनमान सादृश्य वेतन बैण्ड रू0 9300-34800 ग्रेड वेतन 4200/- एतद्द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

2- शासनादेश संख्या-325/71-1-09-जी-263/2006, दिनॉक 16-02-2009 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

3- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3 के अशासकीय पंजी संख्या-ई-3-2541/दस-2014, दिनॉक 16 दिसम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव

संख्याः- 68/2382(1)/71-1-2014 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
3- जिलाधिकारी, आजमगढ़।
4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
5- निदेशक, उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई इटावा को उनके पत्र संखया-1296/विधि/रिम्सएण्डआर/2014-15, दिनॉक 08-08-2014 के संदर्भ में प्रेषित।
6- मुख्य कोषाधिकारी, आजमगढ़।
7- नियोजन विभाग-4/नियोजन प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
अनु सचिव